



प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

कुल 02 अभियुक्तों की आपराधिक कृत्यों से अर्जित कुल 61 लाख रूपए की सम्पत्ति जब्त

दिनांक:-08.06.2022

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय के निर्देश पर अपराधियों के विरुद्ध आपराधिक कृत्य से अर्जित संपत्ति के जब्तीकरण संबंधी चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जिलाधिकारी सीतापुर के आदेश पर कुल 02 अभियुक्तों की आपराधिक कृत्यों द्वारा अर्जित की गयी कुल इकसठ लाख रूपए की सम्पत्ति को यूपी गैंगेस्टर एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत अभियोगों में 14(1) यूपी. गैंगेस्टर एक्ट 1986 के तहत जब्त करने की कार्यवाही की गयी है। जब्त की गयी संपत्ति की कुल कीमत इकसठ लाख रुपये आंकी गयी है।

अभियुक्तगण अपना एक संगठित गिरोह बनाकर अपने व अपने गैंग के सदस्यों के माध्यम से आर्थिक एवम् भौतिक लाभ हेतु अपराध करने के अभ्यस्त अपराधी हैं। अभियुक्तगण अपनी आपराधिक गैंग के गैंग लीडर हैं एवम् अन्य अभियुक्तगण इसके सक्रिय सदस्य हैं। अभियुक्तगण के विरुद्ध सरकारी जमीनों पर कब्जा/नशे का कारोबार/दुकानों से अवैध वसूली करना/अवैध रूप से वाहन स्टैण्ड बनाकर वसूली करना एवं लोगों को डरा धमकाकर उद्यापन/लूट/डकैती जैसे अपराधों के अभियोग पंजीकृत हैं। अभियुक्तों की आय का कोई ज्ञात स्रोत नहीं था न ही इनके पास इतनी पैतृक संपत्ति है जिसकी आमदनी से इतने अल्प समय में ये सभी इतने मूल्यवान संपत्तियाँ खरीद सके। अपराध से अर्जित संपत्ति का उपयोग एवम् उपभोग अभियुक्तगण एवम् उनके परिवारीजन द्वारा किया जा रहा था। विवेचना के दौरान धारा 14(1) गैंगेस्टर एक्ट के अंतर्गत विवेचकों द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय को साक्ष्य संकलित करते हुए एक विस्तृत रिपोर्ट प्रेषित की गयी। पुलिस द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के क्रम में जिला मजिस्ट्रेट सीतापुर द्वारा सभी अभियुक्तों द्वारा अपराध से अर्जित की गयी संपत्तियों को जब्त करने का आदेश निर्गत किया।

जिला मजिस्ट्रेट सीतापुर द्वारा निर्गत आदेश के क्रम में अभियुक्तगण की निम्न संपत्तियों को पुलिस एवम् प्रशासन के अधिकारियों की मौजूदगी में जब्त करने की कार्यवाही पूर्ण की गयी। भविष्य में भी इस प्रकार के गैंगेस्टर अपराधियों के चिन्हीकरण और उनके द्वारा अर्जित की गयी अवैध सम्पत्तियों का चिन्हांकन कर उनकी जब्तीकरण की कार्यवाही प्रचलित रहेगी। विस्तृत विवरण निम्नवत् है:-

थाना महोली द्वारा कृत कार्यवाही

थाना महोली पुलिस द्वारा जिलाधिकारी सीतापुर के आदेश पर आपराधिक कृत्यों द्वारा अर्जित की गयी तीन भूमियों कीमत कुल 46,00,000/- रूपए को थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 03/21 धारा 2/3 यूपी गैंगेस्टर एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत अभियोग में 14(1) यू.पी. गैंगेस्टर एक्ट 1986 के तहत जब्त/कुर्क करने की कार्यवाही की गयी है। संपत्ति की कुल कीमत लगभग छियालिस लाख (46,00,000/- रूपए) आंकी गयी है।

अभियुक्त मुजीब अहमद पुत्र सैफू उर्फ इकबाल अहमद निवासी मोहल्ला बट्सगंज थाना कोतवाली नगर जनपद सीतापुर मूल पता ग्राम गजपतिपुर थाना महोली जनपद सीतापुर सरकारी जमीनों पर कब्जा/नशे का कारोबार/दुकानों से अवैध वसूली करना/अवैध रूप से वाहन स्टैण्ड बनाकर वसूली करना एवं लोगों को डरा धमकाकर उद्यापन जैसे अपराध के अभियोग पंजीकृत हैं। जिला मजिस्ट्रेट सीतापुर द्वारा निर्गत आदेश के क्रम में अभियुक्त मुजीब उपरोक्त की निम्न संपत्ति को पुलिस एवम् प्रशासन के अधिकारियों की मौजूदगी में जब्त करने की कार्यवाही पूर्ण की गयी है।

अभियुक्त मुजीब उपरोक्त की कुर्क/जब्त की गयी संपत्ति का विवरण

क्र.सं.	संपत्ति धारक का नाम/पता	संपत्ति का विवरण	अनुमानित कीमत
1	मोहम्मद पुत्र छेदू निवासी ग्राम गजपतिपुर थाना महोली सीतापुर	गाटा संख्या 507 रकबा 0.267 हेक्टेयर	रू0 16,00,000/- (सोलह लाख रूपए)
2	श्रीमती अनवरी बानो पत्नी मुस्तफा निवासी ग्राम गजपतिपुर थाना महोली सीतापुर	गाटा संख्या 520 रकबा 0.405 हेक्टेयर	रू0 22,00,000/- (बाइस लाख रूपए)
3	रियासत अली पुत्र अनवर निवासी ग्राम गजपतिपुर थाना महोली सीतापुर	गाटा संख्या 1226 रकबा 0.146 हेक्टेयर	रू0 8,00,000/- (आठ लाख रूपए)
योग:			रू0 46,00,000/- (छियालिस लाख रूपए)

अभियुक्त मुजीब उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 553/91 धारा 323/506 आईपीसी थाना कोतवाली नगर
2. मु0अ0सं0 558/91 धारा 324/506 आईपीसी थाना कोतवाली नगर
3. मु0अ0सं0 507/96 धारा 147/323/504/506 आईपीसी थाना कोतवाली नगर
4. मु0अ0सं0 216/97 धारा 307 आईपीसी थाना कोतवाली नगर
5. मु0अ0सं0 144/99 धारा 384/504/506 आईपीसी थाना कोतवाली नगर
6. मु0अ0सं0 149/99 धारा 147/504/506 आईपीसी थाना कोतवाली नगर
7. मु0अ0सं0 200/99 धारा 504/506 आईपीसी 2/3 यू0पी0 गैंग्स्टर एक्ट थाना कोतवाली नगर
8. मु0अ0सं0 731/2000 धारा 307 आईपीसी थाना कोतवाली नगर
9. मु0अ0सं0 840/2000 धारा 504/506 आईपीसी थाना कोतवाली नगर
10. मु0अ0सं0 1415/03 धारा 467/420/387 आईपीसी थाना कोतवाली नगर
11. मु0अ0सं0 1915/03 धारा 368/420/384 आईपीसी थाना कोतवाली नगर
12. मु0अ0सं0 120/04 धारा 307/504/506/120B आईपीसी थाना विकास नगर जनपद लखनऊ
13. मु0अ0सं0 147/04 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर
14. मु0अ0सं0 772/05 धारा 384 आईपीसी थाना कोतवाली नगर
15. मु0अ0सं0 845/05 धारा 3(1) यू0पी0 गुण्डा एक्ट थाना कोतवाली नगर
16. मु0अ0सं0 852/07 धारा 384/386 आईपीसी व 2/3 यू0पी0 गैंग्स्टर एक्ट थाना कोतवाली नगर
17. मु0अ0सं0 2418/10 धारा 147/148/149/302 आईपीसी व 7 सीएल एक्ट थाना कोतवाली नगर
18. मु0अ0सं0 432/18 धारा 419/420/504/323/506 आईपीसी थाना गोमती नगर जनपद लखनऊ
19. मु0अ0सं0 094/19 धारा 394/504 आईपीसी थाना कोतवाली नगर
20. मु0अ0सं0 852/19 धारा 196/197/204/420/4674/468/471 आईपीसी थाना ठाकुरगंज जनपद लखनऊ
21. मु0अ0सं0 779/2020 धारा 384/504/506 आईपीसी थाना कोतवाली नगर जनपद सीतापुरा
22. मु0अ0सं0 780/2020 धारा 504/506 आईपीसी थाना कोतवाली नगर जनपद सीतापुरा
23. मु0अ0सं0 03/21 धारा 2/3 यूपी गैंगेस्टर एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद सीतापुरा



थाना मिश्रिख द्वारा कृत कार्यवाही

थाना मिश्रिख पुलिस द्वारा जिलाधिकारी सीतापुर के आदेश पर आपराधिक कृत्यों द्वारा ग्राम जसरथपुर थाना मिश्रिख में अर्जित की गयी भूमि (35X40=1400 वर्ग फिट) अनुमानित कीमत 15,00,000/- रूपए को थाना मिश्रिख पर पंजीकृत मु0अ0सं0 150/22 धारा 2(ख)(1)/3 यूपी गैंगेस्टर एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत अभियोग में 14(1) यू.पी. गैंगेस्टर एक्ट 1986 के तहत जब्त करने की कार्यवाही की गयी है। जब्त की गयी संपत्ति की कुल कीमत **लगभग पन्द्रह लाख रुपये** आंकी गयी है।


अभियुक्त प्रियांशू उर्फ लालू राठौर पुत्र बड़कन्ने निवासी मोहल्ला रामबाग थाना मिश्रिख सीतापुर के विरुद्ध लूट/डकैती जैसे अपराध के अभियोग पंजीकृत हैं। जिला मजिस्ट्रेट सीतापुर द्वारा निर्गत आदेश के क्रम में अभियुक्त प्रियांशू उपरोक्त की निम्न संपत्ति को पुलिस एवम् प्रशासन के अधिकारियों की मौजूदगी में जब्त करने की कार्यवाही पूर्ण की गयी।

अभियुक्त प्रियांशू उपरोक्त की कुर्क/जब्त की गयी संपत्ति का विवरण

क्र.सं.	संपत्ति धारक का नाम/पता	संपत्ति का विवरण	अनुमानित कीमत
1	संगीता राठौर पत्नी बड़कन्ने व सुनील पुत्र बड़कन्ने निवासी मोहल्ला रामनगर मजरा जसरथपुर थाना मिश्रिख सीतापुर	35X40=1400 वर्ग फिट	रु0 15,00,000/- (पन्द्रह लाख रूपए)
योग:			रु0 15,00,000/- (पन्द्रह लाख रूपए)

अभियुक्त प्रियांशू उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-

- मु0अ0सं0 308/21 धारा 395/397/412/120बी भा.द.वि थाना मिश्रिख सीतापुरा
- मु0अ0सं0 150/22 धारा 2(ख)(1)/3 उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट थाना मिश्रिख सीतापुर



सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मा. न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीतापुर के आदेशानुसार दिनांक 18 मई 2022 के अंतर्गत धारा 14(1) उ.प्र. गिरोहबंद समाज विरोधी क्रियाकलाप अधिनियम 1986 उप सरकार बनाम प्रियांशु उर्फ लालू राठौर पुत्र बड़कन्ने निवासी मुहल्ला रामबाग थाना कोतवाली मिश्रिख जनपद सीतापुर सम्बंधित मु.अ. स.150/2022 अंतर्गत धारा 2(ख)(1) 3 गैंगस्टर अधि बनाम प्रियांशु उर्फ लालू राठौर की अचल संपत्ति स्थित ग्राम जसरथपुर 1400 वर्ग फिट कुर्क /जब्त की जाती है

दिनांक-08.06.2022

**आज्ञा से
जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर**